भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 1981/आषाढ़ 24, 1903
No. 325] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 1981/ASADHA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1981

शुद्धिपत्र

का. आ. 560(अ).—दिनांक 18 जून, 1981 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (2) में प्रकाशित गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की दिनांक 18 जून, 1981 की अधिसूचना, का. आ 188 (अ), में पृष्ठ 787 पर प्रथम पैरे की अंतिम पंक्ति में "राय" शब्द के स्थान पर

"रे" और पृष्ठ 799 पर मद 7 की प्रथम पंक्ति में "लूटरचित" शब्द के स्थान पर "कूटरचित" पढ़ा जाए ।

[फा. सं. 375/11/81-ए. वी. डी.-4]
पी. एन. अब्बी, संयुक्त सचिव (सतर्कता)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 15th July, 1981

CORRIGENDUM

S.O. 560(E).—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 488(E), dated the 18th June, 1981, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 18th June, 1981, at page 800, in item (7), in the second line, for the word "foreign", read "forging".

[F. No. 375/11/81-AVD.IV]
P. N. ABBI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981